भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3562
दिनांक 24.07.2019/2 श्रावण, 1941 (शक) को उत्तर के लिए

रोहिंग्या मुसलमानों का अवैध प्रवेश

3562. श्री अनिल देसाईः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) भारत में कितने और कब से रोहिंग्या मुसलमानों ने अवैध रूप से प्रवेश किया है, तत्संबंधी वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;
(ख) उन राज्यों के नाम क्या हैं जहां वे रह रहे हैं और प्रत्येक राज्य में ऐसे कितने लोग रह रहे हैं;
(ग) सरकार का उनके अवैध प्रवेश और रहने पर क्या पक्ष है और क्या सरकार उन्हें कोई सुविधा उपलब्ध करा रही है, यदि हां, तो कितनी और कब तक; और
(घ) म्यांमार में उनके प्रत्यावर्तन की क्या संभावनाएं हैं?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानंद राय)

(क) से (घ): चूंकि अवैध प्रवासी देश में वैध यात्रा दस्तावेजों के बिना चोरी-छिपे और छलपूर्वक प्रवेश कर जाते हैं अतः देश में रह रहे ऐसे प्रवासियों की संख्या के सटीक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

अवैध आप्रवासियों का पता लगाना तथा उनका निर्वासन एक सतत और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ऐसे अवैध आप्रवासियों से निपटने के लिए, विदेशी विषयक अधिनियम, 1946 की धारा 3 के अंतर्गत अवैध विदेशी राष्ट्रिकों का पता लगाने, उन्हें हिरासत में लेने और निर्वासित करने से संबंधित केंद्र सरकार की शक्तियां तथा पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम, 1920 की धारा 5 के अंतर्गत किसी अवैध विदेशी राष्ट्रिक को बलपूर्वक हटाने की शक्तियां

रा.स.अ.प्र.सं. 3562

भारत के संविधान के अनुच्छेद 258(1) के तहत सभी राज्य सरकारों को सौंपी गयी हैं। इसके अलावा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 239(1) के तहत, सभी संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासकों को भी उपर्युक्त शक्तियों से संबंधित केंद्र सरकार के कार्यों का निर्वहन करने का निदेश दिया गया है।

गृह मंत्रालय ने विभिन्न स्तरों पर कई बैठकें और विडियो कॉन्फ्रेंस भी आयोजित की हैं तथा राज्य सरकारों और अन्य स्टेक होल्डरों को रोहिंग्या सहित सभी अवैध प्रवासियों की पहचान करने, उनकी गतिविधियों पर निगरानी रखने और उनके द्वारा धोखे से प्राप्त किए गए पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राईविंग लाइसेंस, राशन कार्ड आदि जैसे किसी भी प्रकार के भारतीय दस्तावेजों को निरस्त करने के बारे में कहा गया है। गृह मंत्रालय द्वारा दिनांक 24.04.2014 को विदेशी राष्ट्रिकों के निर्वासन/प्रत्यावर्तन के संबंध में विस्तृत निर्देश जारी किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, गृह मंत्रालय के दिनांक 08.08.2017 और 28.02.2018 को अवैध प्रवासियों की पहचान करने और उनकी निगरानी करने के संबंध में राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को परामर्शी-पत्र जारी किए गए हैं।

सरकार ने इन रोहिंग्या प्रवासियों का मामला म्यांमार सरकार के साथ भी उठाया है। इन विस्थापित व्यक्तियों की सुरक्षित, शीघ्र और सतत वापसी की आवश्यकता पर बल दिया गया है।

******